न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 120/16 GCMS NO 2016/00137

1. दामोदर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी भारतीय कालोनी हिण्डोन सिटी जिला करौली
2. मिश्री देवी पत्नि हरसहाय मीना निवासी खेडीशीश तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली
3. विशन पुत्र घीसोली जाति जाटव निवासी बदलेटखुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली(मृतक)

3/1. मु.रामदेई बेवा विशन
3/2. रघुवीर
3/3. बलवीर
3/4. प्रेमसिह
3/5. निहाल सिह पिसरान विशन जातियान जाटव निवासी बदलेटाखुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली
3/6. केसूली पत्नि तेजसिह पुत्री स्व0विशन
3/7. रामकमल पत्नि रमेश पुत्री स्व0विशन जातियान जाटव निवासीयान कलसाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर
3/8. ममता पत्नि मनोज पुत्री स्व0विशन जाति जाटव निवासी निठार तहसील बैर जिला भरतपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामफल पुत्र कुदंन जाति जाटव निवासी पालनपुर वाले गोपीपुर (मण्डावरा) तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली (मृतक)

1/1. अमर बाई बेवा रामफल
1/2. बदन सिह
1/3. समय सिह
1/4. महेन्द्र सिह
1/5. सूरज
1/6. सरोज पिसरान रामफल सभी जातियान जाटव निवासीयान मूडियापुरा पालनपुर वाले 220 के0बी0जी एस एस के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
1/7 बबीता पुत्री रामफल पत्नि पप्पी जाति जाटव निवासी जाटबस्ती वार्ड न0 1 हिण्डौन सिटी जिला करौली
1/8. आशा पुत्री रामफल पत्नि उद
1/9. विनिता पुत्री रामफल पत्नि रवि जातियान जाटव निवासी जाटबस्ती वार्ड न0 1 हिण्डौन सिटी जिला करौली

2. तेजराम
3. करन पिसरान परभाती
4. खेमचंद पुत्र बुद्वराम
5. लक्ष्मीनारायण
6. रामदयाल
7. अशोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

8. परषोतम पिसरान भगवतीलाल सभी जातियान जाटव निवासीयान गोपीपुरा (मण्डावरा) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
9. रविन्द्र
10. राजू
11. सुरेन्द्र पिसरान राधेश्या
12. जगमोहन
13. श्यामलाल
14. सुरेश पिसरान किशन चंद
15. केदारलाल पुत्र चौथीराम
16. कल्याण प्रसाद पुत्र प्रभूलाल
17. लालजी पुत्र सुखराम सभी जातियान जाटव निवासी गोपीपुरा (मण्डावरा) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
18. राज्य सरकार तामिल जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 76/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 1/1 ता 1/9 श्री रामखिलाडी सैनी

रेस्पो0 4 ता 17 ता श्री मोहन अवस्थी

दिनांक 01.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.16 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनरथ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 रामफल द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 515,519,520,521,522,524, 533,534,535,536,537,538, 539,541,542,544,546, 551,553,555, 556,557,558,559,560,573,574,575,578,579,580,581,583,585,586,587,592,593,595,596, 597,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,612,562/663 कुल किता 55 कुल रकबा 18.84 है0 ग्राम गोपीपुर मे स्थित है। उक्त आराजी मे वादी व प्रतिवादी 3 ता 16 ने प्रतिवादी 1 व 2 के स्वर्गीय पिता परभाती से जरिये सेल डीड दिनांक 23.12.97 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता से उसका सम्पूर्ण उसका हिस्सा 1/17 भाग क्रय किया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 उपरोक्त आराजी के 1/17 भाग के रजिस्टर्ड ओन खातेदार है। विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के बाद विक्रय पत्र घर मे रखकर कार्य करने बाहर चले गये। इस कारण राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कराना भूल गये। वादी द्वारा विधुत की फाईल लगाने के लिए पटवारी के पास गये तो पता चला की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी 1 व 2 के पिता के नाम है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी 3 ता 16 से खातेदारी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नाम कराने के लिए कहा तो पहले तो वह सहमत हो गये एवं परन्तु दिनांक 4.7.15 को जब वादी ने प्रतिवादीगण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 खुलवाने के लिए तहसील मे चलने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और कहा कि नामा0 नही खुलने देगे तथा धमकी दी कि हम भूमियो को अन्य दीगर व्यक्तियो को बेचान करे । इसलिए उक्त आराजी कुल किता 55 कुल रकबा 18.84 है वाके ग्राम गोपीपुर तहसील हिण्डौन मे वादी को 1/119 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि मे मदाखलत पैदा नही करे तथा शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामा.खुलवाने मे कोई व्यवधान पैदा नही करे। विवादित आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाई रखे एवं रहन बेचान नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी कर प्रकरण मे बिना तनकी बनाये तथा बिना साक्ष्य लिए सीधे ही प्रकरण को निस्तारण कर दिया जो खिलाफ कानून है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानो का उल्लंघन करने के कारण निर्णय व डिक्री अदालत मातहत निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने अपने प्रकरण मे अपनी साक्ष्य पेश न करके अपने दस्तावेजो का साबित नही कराया है और ना ही उन पर प्रदर्श डाला गया है। जो कानूनन आवश्यक था तथा दस्तावेजो पर कानूनन बिना प्रदर्श डाले उसे साक्ष्य मे नही पढा जा सकता है और ना ही वादी की साक्ष्य आई है। ऐसी स्थिति मे वादी की साक्ष्य के अभाव मे दावा वादी मुताबिक जाप्ता दीवानी के प्रावधानो आदेश 18 के तहत अदम सबूत मे खारिज किये जाने योग्य था मगर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रकिया व जाप्ता दीवानी के महत्वपूर्ण प्रावधानो का उल्लंघन कर दावा डिक्री करने मे भारी कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। दावा दायरी से पूर्व ख0न0 541 रकबा 17 ऐयर की धारा 90 ए होकर उक्त खसरा न0 आबादी मे दर्ज होकर नगर पालिका की खातेदारी मे दर्ज हो गया, जिसके संबंध मे न्यायालय हाजा को दावा हाजा सुनने का क्षैत्राधिकार नही था मगर न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर खिलाफ कानून निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा न0 541 रकबा 17 ऐयर मे प्लाटिंग होकर उसके अपीलांट न0 2 के हक मे बयनामे सब रजिस्ट्रार के यहॉ हो चुके है तथा अपी[illegible] 1 ने उसमे नगर परिषद हिण्डौन से पटटा भी ले लिया है। इसलिए उक्त [illegible] के [illegible] को सुनने व फैसल करने का अधिनस्थ न्यायालय को क्षैत्राधिकार नही था। फिर भी [illegible]स्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून बिना क्षैत्राधिकार के दावे को ख0न0 541 के सबंध मे डिक्री खि[illegible]फ कानून डिक्री कर दिया जो जैर अपील निरस्त योग्य है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट को प्रकरण की जानकारी संबंधित पटवारी हल्का से अपने पटटे पर लोन लेने के लिए जमाबंदी की नकल लेने पर हुई जिस पर अधिनस्थ न्यायायल से अपीलाधीन निर्णय की नकल लेकर तथा सम्पूर्ण वाकये की जानकारी करने पर अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.16 खसरा न0 541 रकबा 17 ऐयर स्थित ग्राम गोपीपुर तहसील हिण्डौन की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 संख्या 1/1 ता 1/9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी 3 ता 16 ने प्रतिवादी 1 व 2 के स्वर्गीय पिता परभाती से जरिये सेल डीड दिनांक 23.12.97 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता से उसका सम्पूर्ण उसका हिस्सा 1/17 भाग क्रय किया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 उपरोक्त आराजी के 1/17 भाग के रजिस्टर्ड ओन खातेदार है। विक्रय पत्र पंजीवद्व कराने के बाद विक्रय पत्र घर मे रखकर कार्य करने बाहर चले गये इस कारण राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी कराना भूल गये। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हो सका। वादी द्वारा विधुत की फाईल लगाने के लिए पटवारी के पास गये तो पता चला की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी 1 व 2 के पिता के नाम है। जिसे खातेदारी अपने नाम कराने का वादी/रेस्पो0 के पिता रामफल अपने नाम कराने का हकदार होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 541 रकबा 17 ऐयर की 90 ए की कार्यवाही होने के कारण उनके संबंध मे निर्णय करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नही था। जबकि सत्यता यह है जब भूमि को क्रय किया गया था जब उक्त आराजीयात की 90 ए की कार्यवाही नही हुई थी। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात को कृषि योग्य भूमि माना जाकर वादी के पक्ष मे खातेदारी दर्ज करने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है।

रेस्पो0 संख्या 4 ता 17 के अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात वादी द्वारा प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता से 1/17 भाग क्रय किया गया था लेकिन यह खरीद 33 व्यक्तियो द्वारा एक साथ क्रय की गई थी। उक्त भूमि को स्टाम्पो पर ब्लू प्रिंट नक्शा बनवाकर विक्रय कर दिया गया है समस्त भूमि पर पक्के निर्माण हो चुके है तथा मकानात बन चुके है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी जरिये जबाब दावा पेश किया गया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही कर वादी का वाद पत्र गलत रूप से डिकी किया गया है। उक्त भूमि वर्तमान मे भी काश्त योग्य नही है वर्तमान मे उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रही है। भूमि आवासीय होने के कारण क्रेता व प्रतिवादीगण ने नामा0 नही खुलवाया है। वादी के मन मे बदनियती आ गई क्योकि उक्त आराजीयात को प्रतिवादी न0 3 ता 16 व अन्य रिश्तेदारो ने मिलकर खरीदा था उक्त भूमि मे वादी का 1/119 हिस्सा होता ही नही है। उक्त आराजीयात मे काश्त नही होती है। मकान बन चुके है। उक्त आराजीयात नगर परिषद हिण्डौन सिटी के अधीन है। अधिनस्थ न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नही था। वादी द्वारा गलत एवं तथ्य छुपाकर वाद पेश किया गया था, जिसें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व डिकी किया गया है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र खारिज किया जाकर वाद पत्र से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 515,519,520,521,522,524, 533,534,535,536,537,538, 539,541,542,544,546, 551,553,555, 556,557,558,559,560,573,574,575,578,579,580,581,583,585,586,587,592,593,595,596, 597,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,612,562/663 कुल किता 55 कुल रकबा 18.84 है0 ग्राम गोपीपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली को वादी द्वारा प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता परभाती से 1/17 भाग को क्रय किया गया था। उक्त तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि उक्त आराजीयात मे से ख0न0 541 रकबा 17 ऐयर की 90 ए की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा चुकी है एवं भूमि को पटटा भी जारी किया जा चुका है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध फोटो प्रति नगर परिषद हिण्डौन सिटी के आदेश दिनांक 16.7.13 से होती है। इस प्रकार उक्त आराजीयात ख0न0 541 मे अपीलांट का हित निहित होने से अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 4 ता 17 के अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त आराजीयात को 33 व्यक्तियो द्वारा सम्मिलित रूप से क्रय की जाकर उसमे ब्लू प्रिन्ट बनाकर आवासीय प्लाट काट दिये गये है इस प्रकार उक्त आराजीयात कृषि भूमि नही रही है। पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार आराजी ख0न0 541 रकबा 0.17 है0 को आवासीय प्रयोजनार्थ की स्वीकृति नगर परिषद हिण्डौन द्वारा जारी की गई है। इससे अपीलांट के उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त तथ्यो से विवादित आराजीयात का कृषि योग्य भूमि नही होना संदिग्ध प्रतीत होता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व होना जाहिर करता है। जिसे निरस्त किया जाकर विवादित आराजीयात की मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 76/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.3.16 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात की वर्तमान मौके की स्थिति तहसीलदार हिण्डौन सिटी से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.9.2025 को उपस्थिति होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:32 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर